न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 66/2021

1 श्रीमती जसवन्ती स्त्री सुमेरसिंह जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
2 श्रीमती एकता पुत्री सुमेरसिंह पत्नी समीर जाति जाट निवासी भीर्र तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
3 आदित्य पुत्र कुलदीप जाति जाट निवासी नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
4 संदीप पुत्र सुमेरसिंह जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मृतक सत्यदेव पुत्र पन्नेसिंह जाति जाट निवासी देवरोड़ हाल निवासी नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (दौराने वाद दिनांक 08.05.2020 मृत्यु)
1/1 विजय सिंह पुत्र स्व. सत्यदेव
1/2 अशोक कुमार पुत्र स्व. सत्यदेव
1/3 विरेन्द्र पुत्र स्व. सत्यदेव जाति जाट निवासी ग्राम देवरोड़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
2 अनुज पुत्र कुलदीप जाति जाट निवासी नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
3 विक्रम सिंह पुत्र विश्वेश्वरसिंह जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
4 जोगेन्द्र सिंह पुत्र विश्वेश्वरसिंह जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

5 श्रीमती सुमित्रा देवी पुत्री विश्वेश्वरसिंह जाट निवासी पिलानी तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
6 श्रीमती सुशीला पुत्री विश्वेश्वरसिंह स्त्री सुरतसिंह जाति जाट निवासी चौधरी चरणसिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा।
7 श्रीमती चन्द्र पुत्री विश्वेश्वरसिंह स्त्री जगदीश सिंह जाति जाट निवासी मुरलीपुरा जयपुर राज.।
8 श्रीमती मन्जुला उर्फ पप्पु पुत्री विश्वेश्वरसिंह स्त्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी छप्पार तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी हरियाणा।
9 श्रीमती सरोज देवी स्त्री वेदपाल जाति जाट निवासी ढाणी फौगाट तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी हरियाणा।
10 ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा चिड़ावा जरिये शाखा प्रबन्धक।
11 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय व डिक्री
दिनांकित 30.10.2017 व निर्णय दिनांक 05.04.2021
संसोधित डिक्री दिनांक 05.04.2021 बअदालत उपखण्ड
अधिकारी चिड़ावा मुकदमा उनवानी सत्यदेव बनाम गौरादेवी
वगै. मु.नं. 206/2017 दावा बाबत बेदखली एवं स्थाई नि.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील संख्या 129/2023

1 जोगेन्द्र सिंह पुत्र विश्वेश्वरसिंह जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मृतक सत्यदेव पुत्र पन्नेसिंह जाति जाट निवासी देवरोड़ हाल निवासी नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (दौराने वाद दिनांक 08.05.2020 मृत्यु)
1/1 विजय सिंह पुत्र स्व. सत्यदेव
1/2 अशोक कुमार पुत्र स्व. सत्यदेव
1/3 विरेन्द्र पुत्र स्व. सत्यदेव जाति जाट निवासी ग्राम देवरोड़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
2 अनुज पुत्र कुलदीप जाति जाट निवासी नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
3 विक्रम सिंह पुत्र विश्वेश्वरसिंह जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
4 श्रीमती सुमित्रा देवी पुत्री विश्वेश्वरसिंह जाट निवासी पिलानी तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
5 श्रीमती सुशीला पुत्री विश्वेश्वरसिंह स्त्री सुरतसिंह जाति जाट निवासी चौधरी चरणसिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा।
6 श्रीमती चन्द्र पुत्री विश्वेश्वरसिंह स्त्री जगदीश सिंह जाति जाट निवासी मुरलीपुरा जयपुर राज.।
7 श्रीमती मन्जुला उर्फ पप्पु पुत्री विश्वेश्वरसिंह स्त्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी छप्पार तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी हरियाणा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

8 श्रीमती सरोज देवी स्त्री वेदपाल जाति जाट निवासी ढाणी फौगाट तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी हरियाणा।
9 श्रीमती जसवन्ती स्त्री सुमेरसिंह जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
10 श्रीमती एकता पुत्री सुमेरसिंह पत्नी समीर जाति जाट निवासी भीर्र तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
11 आदित्य पुत्र कुलदीप जाति जाट निवासी नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
12 संदीप पुत्र सुमेरसिंह जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
13 ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ाखा चिड़ावा जरिये ाखा प्रबन्धक।
14 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2017 व निर्णय दिनांक 05.04.2021 एवं संसोधित डिक्री दिनांक 05.04.2021 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा मु. उनवानी सत्यदेव बनाम गौरा देवी वगै. मु.नं. 206/2012 (30/2019) दावा बाबत घो णा, बेदखली एवं स्थाई नि ेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ममता वर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

—निर्णय—

दिनांकः— 6.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 206/2012 (30/2019) में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 व 05.04.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन खसरा नम्बर 951 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 954 रकबा 0.18 हैक्टेयर, गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम नरहड़ तहत तहसील चिड़ावा में स्थित है। उक्त जमीन खसरा नम्बर 951 रकबा 0.87 हैक्टेयर में से पश्चिम दिशा की 0.24 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 954 रकबा 0.18 हैक्टेयर की घोषणा के लिए रेस्पोडेन्ट मृतकम सत्यदेव ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र बाबत घोषणा, बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। जिस वाद पत्र को विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 30.10.2017 को आंशिक रूप से निर्णित कर डिक्री कर दिया बाद में सत्यदेव ने दिनांक 23.05.2018 को निर्णय व डिक्री में संसोधन करवाने हेतु धारा 151 व धारा 152 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली दिनांक 18.01.2019 को तलब की गई। विचारण न्यायालय ने दिनांक 05.04.2021 को पुनः संसोधित निर्णय व डिक्री पारित कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपीलें धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष मृतक सत्यदेव ने दो रिलीफ की मांग की प्रथम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *

रिलीफ के मुताबिक खसरा नम्बर 864 रकबा 0.18 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता की खातेदारी का एवं कि. गे.मु. रास्ता की जगह किस्म बारानी–1 दर्ज करने की रिलीफ चाही। विचारण न्यायालय के समक्ष मृतक वादी सत्यदेव ने दुसरी रिलीफ यह चाही की जमीन खसरा नम्बर 951 रकबा 0.87 हैक्टेयर वाके ग्राम नरहड़ तहत तहसील चिड़ावा में से पश्चिमी दिशा की 0.24 हैक्टेयर जमीन की खातेदारी उसके नाम दर्ज की जावे एवं खसरा नम्बर 951 पर काबिज अपीलान्ट व अन्य को पश्चिमी दिशा की 0.24 हैक्टेयर जमीन से बेदखल किया जावें। जमीन खसरा नम्बर 951 रकबा 0.87 हैक्टेयर के पहले खसरा नम्बर 861 थे। खसरा नम्बर 861 में से पहले खसरा नम्बर 391 थे व खसरा नम्बर 954 रकबा 0.18 हैक्टेयर के पहले खसरा नम्बर 864 थे एवं खसरा नम्बर 864 के पहले खसरा नम्बर 352 थे। जमीन हाल खसरा नम्बर 954 के पहले खसरा नम्बर 864 मिसल संवत 2044 से 2063 के मुताबिक राज्य सरकार की खातेदारी में दर्ज है एंव कि. गै. मु. रास्ता दर्ज है। ग्राम नरहड़ से ग्राम चिड़ासन की ढाणी से जाने वाले आम रास्ते से खसरा नम्बर 954 कटानी रास्ता है। जो खसरा नम्बर 949 व 950 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे नक्शासीट में कटानी रास्ता है जो अपीलान्ट के मकान खसरा नम्बर 952 व कुआ खसरा नम्बर 953 के पास से पूर्व दिशा में आगे खेतों में जाने के लिए कटानी आम रास्ता है। विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त सरकारी कटानी रास्ता को खातेदारी में दर्ज करने के लिए तहसीलदार भू–अभिलेख चिड़ावा का जवाब आवश्यक था। भूमिधारी ने प्रकरण में जवाबदेही पेश करने के लिए लापरवाही व उपेक्षा बरती है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र के सिर्फ यह लिखा है कि दौराने भू–प्रबन्ध खसरा नम्बर 954 रकबा 0.18 हैक्टेयर जमीन रास्ता में गलत दर्ज कर दी। जबकि वाद पत्र में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि खसरा नम्बर 954 की जमीन सत्यदेव की थी जो रास्ता में दर्ज कर दी। खसरा नम्बर 954 गै.मु. रास्ता से अपीलान्ट अपने खेत में स्थित रिहायशी मकान खसरा नम्बर 952 में जाता है एवं अपने खेत में जाता है तथा अपीलान्ट के आगे पूर्व दिशा में खातेदार खसरा नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील
सीकर (कैम्प झुन

954 गै.मु. रास्ता को आने जाने के काम में लेते रहे है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी ने खसरा नम्बर 954 सरकारी रास्ता को काम में लेने वाले व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया जबकि वे प्रभावित पक्षकार थे जिन प्रभावित पक्षकारों को दावा में आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था। इस प्रकार विचाराधीन निर्णय व डिक्रीयां खारिज होने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के मुताबिक राज्य सरकार के खाता में दर्ज गै.मु. रास्ता की खातेदारी किसी प्राईवेट व्यक्तियों को नही दी जा सकती विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की वर्तमान आवश्यकता एवं उद्देश्य नहीं समझने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में वादी ने यह लिखा कि गत खसरा नम्बर 392 में से 0.24 हैक्टेयर जमीन दौराने भू–प्रबन्ध खसरा नम्बर 861 जिसके बाद में खसरा नम्बर 951 में समायोजित कर गलत टिनेन्सी दर्ज कर दी। जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि गत खसरा नम्बर 392 की 0.24 हैक्टेयर जमीन खसरा नम्बर 861 व उसके बाद बने खसरा नम्बर 951 में शामिल की हो। खसरा नम्बर 951 व उससे पहले खसरा नम्बर 861 पहले अपीलान्ट के पिता विश्वेश्वरसिंह के खातेदारी में दर्ज रही है। वादी ने खसरा नम्बर 951 में से पश्चिम दिशा की 0.24 हैक्टेयर जमीन की बेदखली बाबत दावा में रिलीफ चाही है वाद पत्र 12 साल की मियाद के बाहर पेश किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी ने दावा में यह कही भी दर्ज नहीं किया कि अपीलान्ट व अन्य खसरा नम्बर 951 की पश्चिमी दिशा में स्थित 0.24 हैक्टेयर पर कब से काबिज है। वादी ने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं किया। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को समुचित जवाबदेही, साक्ष्य सुनवाई का प्राप्त अवसर नहीं दिया। विचाराधीन निर्णय व डिक्रीयां पारित करने में अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील हुई है। सम्यक तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय में विधिक प्रक्रिया की पालना कर पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार पत्रावली दिनांक 06.02.2015 से 19.06.2015 तक साक्ष्य में नियत रही है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 30.10.2017 को विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इससे पूर्व प्रतिवादी संख्या 7/अपीलांट एवं प्रतिवादी संख्या 2/1/अपीलांट की सम्यक तामील होने एवं उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का कोई अंकन आदेशिका पर नहीं है। विचारण न्यायालय ने तामील पुर्ण करवाये बिना तनकी कायम किये बिना साक्ष्य लिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करते समय विधिक प्रक्रिया की पालना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नहीं की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट से जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.12.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर